प्राप्त 20.02.15
(804)

एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0
19,444 19-2-15

प्रेषक,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवामें,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
इलाहाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, अलीगढ़ व सोनभद्र।

पत्रांक–प0क(9)/अ–अ–70(एनयूएचएम)/2014–15/ लखनऊः दिनांक–12 फरवरी 2015

विषयः– वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी स्वास्थ्य इकाईयों (हेल्थ पोस्ट) को अरबन पीएचसी के रूप में सुद्बढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि महाप्रबन्धक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एसपीएमयू/एनयूएचएम/रिनोवेशन/2014–15/25/4631, दिनांक 14 जनवरी 2015 द्वारा यह अवगत कराते हुए कि संलग्न तालिका में उल्लिखित आपके जनपद के हेल्थ पोस्ट को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में सुद्बढ़ किये जाने हेतु रिनोवेशन कार्यो के लिए धनराशि दिनांक 02 जनवरी 2015 को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है। अतएव प्रकरण में सम्बन्धित जनपदों को दिशा निर्देश निर्गत करते हुए सघन मानीटरिंग कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के कम कें आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में स्वीकृत उक्त कार्यो को जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त विभागीय निर्माण इकाई द्वारा पारदर्शी टेण्डर प्रकिया अपनाते हुए पूर्ण कराये जायें, जो कि विभागीय अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के माध्यम से हो तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी व मण्डलीय अपर निदेशक इसका सघन अनुश्रवण करें।

उक्तानुसार कार्य निष्पादन में निम्न विन्दुओं का अनुपालन भी अनिवार्य हैः–

1– कार्यो का सम्पादन परिवार कल्याण महानिदेशालय के पत्र संख्या–प0क0(9)/अ–अ–80(सी0)/1999/766–1268, दिनांक 16.11.1999 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।

EE/GM(UH)

2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी यथा सम्भव कार्यो का निरीक्षण कर इसे समय से पूर्ण कराने हेतु अभीष्ट कार्यवाही की जायेगी।

3– कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यो की जांच जिलाधिकारी के अधीन कार्यरत तकनीकी टास्क फोर्स से भी करायी जायेगी।

19/02/15
AMD

4– कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। यह प्रमाण पत्र पूर्णता/ उपयोगिता प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

5– डिफेक्ट्स लाइविलिटी पिरीयड कार्य पूर्ण होने की तिथि से 06 माह अथवा एक मानसून सत्र व्यतीत होने की अवधि, जो भी बाद में घटित हो, की अवधि के लिए होगा तथा इस अवधि में सामान्य वार्षिक मरम्मत मदों को छोड़कर अन्य पायी जाने वाली कमियों का निराकरण अनुबन्धित फर्म/ ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा।

कार्यो के सम्पादन में निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जायेगीः–

1– **विस्तृत आगणन** :– सम्बन्धित जनपदों द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन के परीक्षणोपरान्त महानिदेशालय द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुसार ही एसपीएमयू द्वारा संलग्न तालिका में उल्लिखित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 02 जनवरी 2015 को अवमुक्त की गयी हैं। उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन जिसके आधार पर उक्त धनराशि अवमुक्त की गयी है, की प्रतियॉ सम्बन्धित जनपद महानिदेशालय के अभियन्त्रण अनुभाग से प्राप्त कर ली जाये।

2– **निविदा प्रकियाः**– मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त आगणन के आधार पर नियमानुसार निविदा प्रकिया पूर्ण कराकर चयनित निविदादाता के साथ अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

3– **जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करना** :– पूर्व में महानिदेशालय को उपलब्ध कराये गये आगणन जिसके अनुसार प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त की गयी है, प्राप्त करके तद्नुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रस्ताव तैयार करेगें जिस पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त करके ही रिनोवेशन की कार्यवाही की जायेगी।

4– **कार्यादेश** :– जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत अनुमोदन के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को नियमानुसार समस्त औपचारिकतायें (जैसे जमानत की धनराशि व निर्धारित स्टैम्प ड्यूटी जमा करना) पूर्ण करते हुए कार्यादेश निर्गत करेगें।

5– **तकनीकी पर्यवेक्षण** :– रिनोवेशन का कार्य विभागीय अवर अभियन्ता व मण्डलीय सहायक अभियन्ता की देख रेख में पूर्ण कराया जायेगा। सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी समय–समय पर रिनोवेशन कार्यो का निरीक्षण व प्रगति का अनुश्रवण करेगें।

6– **वित्तीय व्यवस्था एवं भुगतान व्यवस्थाः**– संलग्न विवरण के अनुसार जनपदों को आवंटित धनराशि राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2015 को अवमुक्त की जा चुकी है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत अनुमोदन के अनुसार कृत कार्यो के बिलों का गठन अवर अभियन्ता द्वारा तथा सत्यापन मण्डलीय सहायक अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

7– **कार्यपूर्ति / उपयोगिता प्रमाण पत्रः**– कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मण्डलीय सहायक अभियन्ता द्वारा कार्यपूर्ति / उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराकर परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– **गुणवत्ता नियंत्रण** :– गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता सीधे उत्तरदायी होगें। इसके अतिरिक्त रिनोवेशन कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त तथा अन्तिम भुगतान से पूर्व जिला अधिकारी के अधीन गठित जनपदीय टास्क फोर्स द्वारा कार्यो के सत्यापन व जांच की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जायेगी। जनपदीय टास्कफोर्स के सत्यापन व जांच के उपरान्त उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अन्तिम भुगतान (लागत के न्यूनतम 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि) की कार्यवाही की जायेगी।

9– **प्रगति विवरण** :– सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा प्रत्येक माह की प्रगति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। तद्नुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रगति आख्या प्रत्येक माह की 05 तारीख तक परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

रिनोवेशन हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि कृपया प्रश्नगत रिनोवेशन कार्यो को उपरोक्तानुसार दो माह के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(विजय लक्ष्मी)
महानिदेशक

पृ0प0संख्या–प0क(9)/अ–अ–70(एनयूएचएम)/2014–15/9819-8-34 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– मिशन निदेशक(एनआरएचएम), एस0पी0एम0यू0, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
3– जिला अधिकारी, इलाहाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, अलीगढ़ व सोनभद्र।
4– मण्डलीय अपर निदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0 इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, अलीगढ़ व मिर्जापुर।
5– मण्डलीय सहा0अभियन्ता, कार्यालय अपर निदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0 सेवायें, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, अलीगढ़ व मिर्जापुर।
6– जनपदीय अवर अभियन्ता, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, अलीगढ़ व सोनभद्र।

12/2/15

(विजय लक्ष्मी)
महानिदेशक